"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2007—माघ 7, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2007

आदेश

क्रमांक 919/245/21-ब/छ. ग./07.— माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञापन क्रमांक 44/दो-2-16/2001/गोपनीय/2007, दिनांक 19-1-2007 के अंतर्गत किये गये अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय से वापस लेते हुए उनकी सेवायें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करने हेतु सौंपती है :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पद एवं पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1.	श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर.
2.	श्री के. पी. कुर्रे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अंबिकापुर.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, अंबिकापुर.

(1)	(2)	(3)
3.	श्री लाखन सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, राजनांदगांव.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़.
4.	श्री शिवमंगल पाण्डे, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर.	रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर.

नोट :- श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्ति के दिनांक पश्चात् 65 वर्ष तक या आगामी आदेश तक कार्य करते रहेंगे.

Raipur, the 24th January 2007

ORDER

No. 919/245/XXI-B/C. G./07.— On the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, the State of Chhattisgarh hereby withdraws the services of the Members specified in column No. (2) from the High Court and places their services at the disposal of Food, Civil Supplies & Consumer Protection Department, Government of Chhattisgarh, Raipur for their appointment as President/Registrar, District Consumer Disputes Redressal Forum, as specified in column No. (3) from the date they assume charges in the said places :-

S. No. (1)	Name of Judicial Officers with present place of posting (2)	Post & Place of Posting (3)
1.	Shri Mahendra Kumar Tiwari, Director, Judicial Officers Training Institute, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Bilaspur.
2.	Shri K. P. Kurre, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act at Ambikapur.	President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Ambikapur.
3.	Shri Lakhan Singh, Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act at Rajnandgaon.	President District Consumer Disputes Redressal Forum, Raigarh.
4.	Shri Shiv Mangal Pandey, III Additional District & Sessions Judge, Raipur.	Registrar, Chhattisgarh Consumer Disputes Redressal Commi - ssion, Raipur.

Note :- Shri Mahendra Kumar Tiwari shall continue as President, District Consumer Disputes Redressal Forum after the date of superannuation till he attains the age of 65 years of until further order.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.